



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 976]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2006/भाद्र 10, 1928

No. 976]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2006/BHADRA 10, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2006

का.आ. 1391(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 32 के साथ पठित तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक आयामों के लिए संतुलित व्यवहार रखते हुए देश में हाईड्रोकार्बन स्रोतों के सुदृढ़ प्रबन्धन को प्रोत्त करने के विचार से केन्द्रीय सरकार के अधिकारों व कार्यों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय को प्राधिकरण अथवा अभिकरण के रूप में नियुक्त करती है, नामतः—

1. हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय निम्नलिखित अधिकारों व कृत्यों का प्रयोग करेगा, नामतः—

(i) अधिनियम और नियमों के अनुसार कोल बैड मीथेन तथा गैस हाईड्रेट्स प्रचालनों सहित भारत में अपस्ट्रीम पेट्रोलियम प्रचालनों की निगरानी करना;

(ii) सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग के स्वीकृत व्यवहारों के अनुसार किसी रिज़र्वार्यर से हाईड्रोकार्बन निकासी को इष्टतम करने के विचार से अनुज्ञप्ति-धारक अथवा पट्टाधारक द्वारा प्रस्तावित हाईड्रोकार्बन भण्डारों की वाणिज्यिक खोज हेतु अन्वेषण कार्यक्रम तथा विकास योजनाओं की समीक्षा तथा निगरानी करना;

(iii) सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग के स्वीकृत व्यवहारों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारक अथवा पट्टाधारक द्वारा पेट्रोलियम रिज़र्वार्यरों के प्रबंधन की समीक्षा करना

तथा उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई पर परामर्श देना जो पेट्रोलियम रिज़र्वारियों तथा उनके संरक्षण के उपयुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित कर सके;

(iv) अनुज्ञप्ति-धारक अथवा पट्टाधारक से सभी भू-वैज्ञानिक आंकड़े, रिपोर्टें तथा सूचनाएं मांगना तथा उन्हें तुरंत सुधार्य प्रारूप में संभालना और पेट्रोलियम अन्वेषण, वेधन, उत्पादन तथा उनसे जुड़े प्रचालनों से संबंधित आंकड़ों व नमूनों को संग्रहित तथा अनुरक्षित करना;

(v) सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग की सुमान्य परम्पराओं के अनुसार अनुज्ञप्ति-धारक अथवा पट्टाधारक द्वारा अन्वेषित भंडारों की समीक्षा करना;

(vi) अनुज्ञप्ति-धारक अथवा पट्टाधारक द्वारा अन्वेषणों की उद्घोषणा अथवा घोषणा के लिए मानक निर्धारित करना;

(vii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 24, 25, 26, 27 और 30 में प्रदत्त केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग करना;

(viii) तेल और गैस उत्पादन तथा केन्द्र सरकार को देय रॉयल्टी अथवा अन्य प्रभारों अथवा शुल्कों अथवा उद्ग्रहणों और जहां लागू हो, वहां लागत पेट्रोलियम आदि की निगरानी करना और केन्द्र सरकार को नियत तिथि तक सही रॉयल्टी व अन्य सांविधिक प्रभारों की प्राप्ति सुलभ बनाने हेतु अनुज्ञप्तिधारकों अथवा पट्टाधारकों से आवश्यक रिपोर्टें मंगाना।

2. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय केन्द्र सरकार के अनुमोदन से ऊपर वर्णित शक्तियों का समनुरूप, न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से प्रयोग करते हुए सुमान्य अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग की सुमान्य परम्पराओं को ध्यान में रख कर समय सारणी सहित विस्तृत एवं पारदर्शी दिशानिर्देश तैयार करेगा;

किन्तु ऐसे मामलों में, जिनमें केन्द्र सरकार ने हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए किसी उत्पादन भागीदारी संविदा अथवा संविदा अथवा करार पर हस्ताक्षर किए हों, पृथक-पृथक उत्पादन भागीदारी संविदा अथवा संविदा अथवा करार के अनुसार और समनुरूप शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय करेगा।

[फा. सं. ओ-32011/33/2000-ओएनजी डी-IV-खण्ड]

प्रभ दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2006

**S.O. 1391(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) read with rule 32 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby designates Directorate General of Hydrocarbons as the authority or agency, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, to exercise the powers and functions of the Central Government with a view to promoting sound management of the hydrocarbon resources in the country having balanced regard for environmental safety, technological and economic aspects, namely :—

1. The Directorate General of Hydrocarbons shall exercise the following powers and functions, namely :-

- (i) to monitor the upstream petroleum operations in India including coalbed methane and gas hydrates operations in accordance with the Act and the Rules;
- (ii) review and monitor the exploration programme and development plans for commercial discoveries of hydrocarbons reserves proposed by licensee or lessee with a view to optimizing hydrocarbon recovery from a reservoir in accordance with generally accepted international petroleum industry practices;
- (iii) review the management of petroleum reservoirs by licensee or lessee and advise them on any action which may ensure proper management of the petroleum reservoirs including their conservation in accordance with generally accepted international petroleum industry practices;
- (iv) to ask for and maintain in a readily retrievable form all geo-scientific data, reports and information from licensee or lessee and store and preserve data and samples pertaining to petroleum exploration, drilling, production and connected operations;
- (v) review the reserves discovered by the licensee or lessee in accordance with generally accepted international petroleum industry practices;
- (vi) to lay down norms for declaration or announcement of discoveries by licensee or lessee;
- (vii) to exercise the powers of the Central Government as given in rules 24,25,26,27 and 30 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 ;

- (viii) to monitor oil and gas production and royalty or any other charges or fees or levies, and where applicable, cost petroleum, etc., due to the Central Government and obtain necessary reports from licensee or lessee to facilitate the Central Government in receiving accurate royalty and other statutory charges by the due date.

2. The Directorate General of Hydrocarbons with the approval of the Central Government, shall prepare detailed and transparent guidelines including time lines, keeping in view accepted international petroleum industry practices, in exercise of powers as prescribed above in a consistent, fair and transparent manner :

Provided that in case where the Central Government has signed a Production Sharing Contract or a contract or an agreement for exploration and production of hydrocarbons, the powers and functions shall be discharged by Directorate General of Hydrocarbons in accordance and consistent with the respective Production Sharing Contract or contract or agreement.

[F.No. O-32011/33/2000-ONG. D-IV-Pt.]

PRABH DAS, Jt. Secy.